न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 84 / 2022 बउनवानी सुश्री पदमिनी राठौर बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र0अधि0 राजस्व अनुभाग निवासी मॉ फार्म रणथम्भौर रोड़ सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/166

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.6.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1- Report with all docouments with given by EDM survey done of villages Madhoosinghpura,Ramsinghpura and Ranthambhore done on order of Revenue Secretary by order serial no. 1048 dated 12.4.2006

2- Pls supply copy of order serial no. 1048 dated 12.4.2006 of Revenue secrtary.

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के जवाब नोटिस क्रमांक / सूकाअ / 2022 / 9097दिनांक 22.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना (कुल 6 पृष्ठों की) प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक प.12()सू.का.अ. / राजस्व / 2022 / 9196 दिनांक 22.9.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.6.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र चाही गयी सूचना (कुल 6 पृष्ठों की) प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक प.12()सू.का.अ. / राजस्व / 2022 / 9196 दिनांक 22.9.2022 से अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्याया[illegible]नवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:34:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर